| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 04/8/23 | पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के कौन्सिल उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव अप्राप्त। इंतजार हो। आइन्दा पत्रावली दिनांक 09/10/23 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible] |
| 9/10/23 | पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 12/1/24 को पेश हो। |
| 11.12.23 | पत्रावली पेश। [illegible] की बार हड़ताल चलने पर कोई पक्ष नहीं होने पर [illegible] पत्रावली में [illegible] की जाती है। [signature] सहायक कलेक्टर [illegible] |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 42/2018

**वादीगण**

1. पूरी पत्नी मुलाराम
2. अण्सी पत्नी धनाराम

कौम कलबी साकिन डेडावास जागीर पटवार मण्डल रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. काना पुत्र रूपा
2. मोहन पुत्र रूपा
3. मूली पत्नी रूपा
4. हीरा पुत्र रणछोड़ा

जाति कलबी साकिन डेडावास जागीर पटवार मण्डल रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी

5. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा गुड़ामालानी
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थित :–**

1. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक :– 17/7/23

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा डेडावास जागीर पटवार मण्डल रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 16–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 55 रकबा 7–00 बीघा की आई हुई है। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा है। वादीनीगण ने उपरोक्त खसरान की भूमि में से पूर्व खातेदार अणदाराम वल्द थानाराम का 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 2005001274 दिनांक 07.09.2005 क्रय की थी। जिसके बेचान का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर वादीनी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जिस पर वर्तमान में वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादीनीगण वक्त खरीद से अपने 1/2 हिस्से की भूमि काबिज काश्त है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवाडा न होने के कारण वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों व सेढों को लेकर हर समय तनाजा रहता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को अजनवी व्यक्तियों को बेचान कर बेदखल करने पर आमादा है इसलिये वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 की भूमि अलग करवाकर बंटवाडा करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया गया है।

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

वाद दिनांक 03.05.2018 को दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र का इकवाली जबाव मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 4 का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अलग कर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जबाव प्राप्त होने पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू कायम किये गये :–

1. आया वाद वादीनीगण ग्राम डेडावास जागीर के खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 16–00 बीघा व खसरा संख्या 55 रकबा 07–00 बीघा भूमि में वादीनीगण 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीनीगण )

2. आया वाद वादीनीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में बाद खातेदारी घोषणा प्रतिवादीगण से कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक कर पृथक खाता कायम करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने की अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीनीगण )

3. आया वाद वादीनीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में बाद घोषणा व बंटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी हैं ?

( जिम्मे वादीनीगण )

4. आया वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में माफिक काण्उटर क्लेम काबिज काश्त अनुसार 1/2 हिस्से घोषित करवाने के अधिकारी है ?

( जिम्मे प्रतिवादगण )

5. अन्य सहायता...

वादीगण व प्रतिवादीगण के जिम्मे कायम तनकीयात को साबित करने के लिये वकील वादीगण द्वारा मौखिक व साक्ष्य पेश की गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की साक्ष्य से जिरह करने से इन्कार किया तथा स्वयं द्वारा भी किसी प्रकार की साक्ष्य पेश करने से इन्कार करने पर वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के जबाव मय काउण्टर क्लेम अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण मय प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा डेडावास जागीर के खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 16–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 55 रकबा 7–00 बीघा में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 के मध्य वाई मिटस एण्ड वाउण्डस (By mets & bounds) बंटवाडा किये जाने का आदेश दिनांक 13.09.2019 को दिये जाकर माफिक विभाजन नियम वाई मिटस एण्ड वाउण्डस (By mets & bounds) बंटवाडा का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब किया गया जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक 3575 दिनांक 11.11.2019 द्वारा माफिक प्राथमिक डिकरी विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

इस न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.09.2019 के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई, जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 03.03.2019 द्वारा यह तथ्य प्रकट होने से कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वादगस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादी पक्ष के द्वारा उल्लेखित हिस्सों पर अपनी सहमती प्रस्तुत कर दी, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद उनके अभिवचनों अनुसार स्वीकार कर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख मुताबिक हक–हिस्से घोषित किये गये हैं इसके उपरान्त अधीनस्थ न्ययायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण को कोई आपत्ति हो तो वह अधीनस्थ न्यायालय में उजर एतराज पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। इस निर्णय में अपीलांटगण की आपत्ति का कोई आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील अस्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2019 यथावत रखी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा पेश अपील खारिज हो जाने से प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त द्वितीय अपील का निर्णय दिनांक 12.07.2022 को करते हुए उक्त द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 व इस इस न्यायालय (सहायक कलक्टर गुड़ामालानी) की प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.09.2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रतिवादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित किया जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर नियमित सुनवाई में लिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के जिम्मे कायम तनकीयात को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.–1 प्रतिवादी संख्या 2 मोहनराम एवं डी.डब्ल्यू–2 प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम को न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

प्रतिवादी साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू–1 ने अपने बयानों में कथन किया है कि विवादित आराजी के खसरा संख्या 53 में हमारी रहवासी ढाणी बनी हुई है विद्युत कनेक्शन है तथा कृषि कुआ भी है इससे लगता खसरा संख्या 55 में 1/2 हिस्से हमारा पीढियों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी केता खातेदार है जिसकी भूमि खसरा संख्या 53 में 155/4 के सेढे लगती है तथा खसरा संख्या 55 में खसरा संख्या 57 के सेढे लगती है इसी अनुसार विकेता अणदा पुत्र थाना का कब्जा काश्त था, जिसका 1/2 हिस्से केता पूरी व अणसी को विक्रय किया था। काण्उटर क्लेम के अनुसार प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अलग किया जाकर बंटवाडा किया जावे। .....

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के मध्य वाई मिटस एण्ड वाउण्डस (By mets & bounds) बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है, इसी अनुसार डिगरी पर्चा जारी हो। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिया जाता है कि माफिक विभाजन नियम वाई मिटस एण्ड वाउण्डस (By mets & bounds) बंटवाडा का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिकरी पर्चा जारी हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली दिनांक 24/7/23 को पेश हो।

( रामजी भाई कलबी )
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

सहायक कलक्टर गुडामालानी